



सूचना के अधिकार से संबंधित तीसरे पक्ष की ऑडिट रिपोर्ट (2025-26)
सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कोझिकोड
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

Right to Information Related Third Party Audit Report (2025-26)
Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikode
(Department of Agriculture & Farmers Welfare)

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने; सार्वजनिक सेवाओं के प्रदाता और उनके लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करने; नागरिकों को फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करने; प्रशासन को ज़िम्मेदार और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने; लोकतंत्र की नींव को मज़बूत करने और जागरूक नागरिक तैयार करने के मकसद से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 में ढांचागत पारदर्शिता और जवाबदेही को अपवाद के बजाय कानूनी नियम के तौर पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

To Promote openness, transparency and accountability in the working of every public authority; for bridging the gap between providers and beneficiaries of public services; to make citizens part of decision making; to make administration responsive and corruption free; to strengthen the foundation of democracy and to create informed citizenry; RTI Act-2005 envisions the establishment of structural transparency and accountability as the statutory norms rather than exceptions.

RTI एक्ट की धारा 4, सरकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। जहाँ धारा 4(1)(a) रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए सामान्य दिशानिर्देश देती है ताकि जानकारी को आसानी से स्टोर और सुरक्षित रखा जा सके, वहीं धारा 4 की उप-धाराएँ b, c और d संस्था के उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित हैं। RTI एक्ट की धारा 4 की उप-धाराओं (b), (c) और (d) तथा अन्य संबंधित जानकारी को छह श्रेणियों में बांटा जा सकता है; जैसे:

The RTI Act under section 4 provides a comprehensive framework for promoting openness in the functioning of the public authorities. While Section 4(1) (a) provides a general guideline for record management, so that the information could be easily stored and retained, the sub-sections b, c and d of Section 4 relate to the organizational objects and functions. Sub-sections (b), (c) and (d) of Section 4 of the RTI Act and other related information can be grouped under six categories; namely,

- 1- संगठन और कार्य (Organization and function)
- 2- बजट और कार्यक्रम (Budget and programmes)
- 3- प्रचार-प्रसार और जनता से संपर्क (Publicity and public interface)
- 4- ई-गवर्नेंस (E-governance)
- 5- निर्धारित जानकारी (Information as prescribed)
- 6- अपनी पहल पर दी गई जानकारी (Information disclosed by own initiative)

RTI एक्ट, 2005 की धारा 4 के तहत 'स्वतः जानकारी देने' की व्यवस्था को लागू करने के लिए, DoPT (भारत सरकार) ने 15 अप्रैल, 2013 को कार्यालय जापन- 1/6/2022-IR जारी किया था, इसमें पूर्वोक्त सभी तरह की जानकारी के बारे में विस्तार से बताया गया था जिन्हें सार्वजनिक करना जरूरी है। इसके अलावा, DoPT ने 10-12-2013 और 22-9-2014 को जारी कार्यालय जापन के जरिए सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से कहा कि वे 15-4-2013 के कार्यालय जापन में दी गई गाइडलाइंस का पालन करें और 'प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पैकेज' का किसी तीसरे पक्ष से ऑडिट भी करवाएं।

For implementation of Suo motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005; a detailed guideline, explaining each category aforementioned above of disclosable information, was issued by DoPT, GoI vide Office Memorandum No. 1/6/2022-IR dated 15th April, 2013. Further, DoPT vide OM dated 10-12-2013 and 22-9-2014 requested all the Ministries/Departments/Public Authorities to comply with O.M. guidelines dated 15-4-2013 and also the proactive disclosure package to be got audited by a third party.

इसी कड़ी में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के ऑडिटर ने CIC पोर्टल पर भरे हुए स्व-मूल्यांकन फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कोझिकोड के वेबसाइट की जाँच की और यह पाया कि 1966 में स्थापित इस निदेशालय के मुख्य उद्देश्यों में पूरे भारत में सुपारी, मसाले, पान के पत्ते और सुगंधित पौधों के कुल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, रिसर्च और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना, किसानों के कल्याण, बाज़ार के विकास, निर्यात को बढ़ावा देने तथा नीतिगत और संस्थागत सहायता में सहयोग करना आदि शामिल हैं।

In this context, the auditor of Indian Agricultural Research Institute, New Delhi has gone through the website of the Directorate of Arecanut and Spices Development, Kozhikode—referencing information provided in the self-appraisal form submitted on the CIC portal—and found that the core objectives of the Directorate (established in 1966) include increasing the overall production and productivity of arecanut, spices, betel leaves, and aromatic plants across India; fostering research and innovation; supporting farmer welfare, market development, export promotion, as well as policy and institutional assistance etc.

निदेशालय के वेबसाइट पर दी गई व्यापक जानकारी मुख्य रूप से सुपारी और मसालों के किसानों, कृषि उत्पाद संगठनों, कृषि शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, विस्तार अधिकारियों और मसालों के उत्पादन व व्यापार से जुड़े एग्री-बिज़नेस के साथ-साथ आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है। हालाँकि, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण के तहत भविष्य के संदर्भ के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है: -

The extensive information provided on the Directorate's website will primarily be beneficial for arecanut and spice farmers, FPOs, agricultural researchers, policymakers, extension officers, agribusinesses involved in spice production and trade, as well as the general public. However, under the proactive disclosure of information under Section 4 of the RTI Act, the following may be noted for future reference: -

1. निदेशालय द्वारा RTI के बारे में बेहतर समझ के लिए अपने CPIO/APIO, अन्य वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित अंतराल पर RTI जागरूकता और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा सकता है। अगर किसी अधिकारी/कर्मचारी ने iGot कर्मयोगी सहित ऐसी कोई ट्रेनिंग ली है, तो सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं।

RTI awareness cum training programme may be organized on regular interval by the Board to encourage its CPIO/APIO, other senior and junior staffs to participate for advance understanding of RTI. If any such training including iGot Karmyogi has been undertaken by officer/staff, the certificate can be uploaded at the website.

निदेशालय द्वारा कुछ दस्तावेजों की श्रेणियों को आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी)(vi) के अनुसार वेबसाइट पर रखा गया है। हालाँकि, इनके साथ साथ अन्य कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स जैसे: एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट: सर्विस बुक्स, पर्सनल फाइल्स और (APAR/ACR); फाइनेंस और अकाउंट्स: कैश बुक्स, सालाना बजट और ऑडिट रिपोर्ट्स; खरीद और टेंडर्स: कॉन्ट्रैक्ट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और परचेज ऑर्डर्स; ऑपरेशनल और पॉलिसी: स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs), मीटिंग मिनट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स; लीगल और RTI: RTI एप्लीकेशन से जुड़े पत्राचार, कोर्ट केस फाइल्स और विजिलेंस इन्क्वायरीज़ आदि के कस्टोडियन की जानकारी भी दी जा सकती है।

The categories of documents broadly held by Directorate has been placed at the website as per section 4(1)(b)(vi) of the RTI Act. However, custodian of these and other categories of documents e.g. Administrative & Establishment: Service books, personal files and (APAR/ACR). Financial & Accounts: Cash books, budgets and audit reports. Procurement & Tenders: contracts, bidding documents, and purchase orders. Operational & Policy: Standard Operating Procedures, minutes and project reports. Legal & RTI: Correspondence related to RTI, court case and vigilance inquiries etc may also be shown.

3. निदेशालय का वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट को 2024-25 या 2025-26 के वार्षिक रिपोर्ट से बदला जा सकता है। साथ ही आरटीआई तृतीय पक्ष ऑडिट संबंधी 2023-24 के ऑडिट किया हुए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट को नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट से अद्यतन किया जा सकता है।

The Directorate's annual report available for the year 2023-24 may be replaced with the annual report for 2024-25 or 2025-26. Additionally, the audited self-assessment report for 2023-24 regarding the RTI third-party audit may be updated with the latest audit report.

4. सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए ट्रांसफर पॉलिसी और ट्रांसफर ऑर्डर दोनों को प्रकाशित करना DoPT के जापन संख्या 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013 के तहत आवश्यक है। इसलिए, यह पॉलिसी बनाई जा सकती है और इसे वेबसाइट पर डाला जा सकता है।

Publishing both the transfer policy and transfer orders by Public Authority are mandatory vide DoPT memo No. 1/6/2011-IR dated 15.04.2013. Hence, the said policy may be formulated and may be placed at the website.

5. FAQs से लोगों को सेवाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों के बारे में ज्यादा आसानी से समझने में मदद मिलती है, जिससे पूछताछ की ज़रूरत कम होती है और काम करने का तरीका बेहतर होता है। यह भी वेबसाइट पर दिया जा सकता है।

FAQs help people more easily understand services, procedures, and policies, reducing the need for inquiries and improving workflows. These can also be provided on the website.

6. STQC सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के स्टैंडर्डाइज़ेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट डायरेक्टरेट द्वारा दिया जाता है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स/बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर एक वेबसाइट क्वालिटी सर्टिफिकेशन शामिल है।

निदेशालय ने अपने सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण में कहा है कि STQC सर्टिफिकेट पाने के लिए NIC की अधिकृत एजेंसी से बातचीत चल रही है। हालाँकि, वेबसाइट को हाल ही में नए सिरे से तैयार करके लॉन्च किया गया है और जल्द ही STQC सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

The STQC certificate is issued by the Standardization Testing and Quality Certification Directorate under the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India; it entails a website quality certification based on national and international standards or best practices.

The Directorate has stated in its suo moto disclosure that discussions are underway with the NIC's authorized agency to obtain the STQC certificate. However, the website has recently been launched with new features, and the STQC certification is expected to be secured soon.

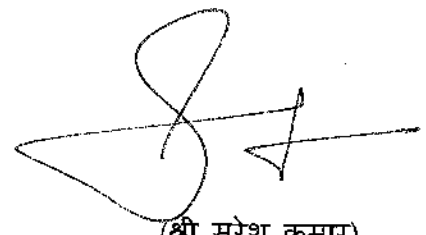
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वर्ष 2025-26 के लिए RTI थर्ड-पार्टी ऑडिट में लगभग 94% का निम्नगत स्कोर हासिल करने पर सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कोझिकोड का हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

Indian Agricultural Research Institute extends its sincere gratitude to the Directorate of Arecanut and Spices Development, Kozhikode for achieving the 94% score in the RTI Third Party Audit for the year 2025-26 as per details below: -

Sl. No.	Head	Total Marks as per category selected by Public Authority in the self-appraisal	Marks Claimed by PA as per self-appraisal	Marks given by Auditor of RTI Third Party Audit
01	Organization and function	89	89	79
02	Budget and programmes	250	250	250
03	Publicity and public interface	200	200	200
04	E-governance	200	200	196
05	Information as prescribed	100	100	90
06	Information disclosed by own initiative	50	31	25
	Total	889	870	840

यह उपलब्धि पारदर्शिता, जवाबदेही और RTI अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत 'प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर' (स्वेच्छा से जानकारी सार्वजनिक करने) के नियमों का पालन करने के प्रति पब्लिक अथॉरिटी की उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

This achievement reflects the public authority's high-level commitment to transparency, accountability, and adherence to the norms of 'proactive disclosure' (voluntary public disclosure of information) under Section 4 of the RTI Act, 2005.



(श्री सुरेश कुमार)

(Sh. Suresh Kumar)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सह वरिष्ठ रजिस्ट्रार एवं ऑडिटर
Joint Director (Admin) cum Sr. Registrar & Auditor

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
IARI-Indian Agricultural Research Institute
पुस्तक, नई दिल्ली / Pusa, New Delhi-201302